

12.07.23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।

वकील प्रार्थी को बार-बार अवसर देने के उपरान्त

भी अप्रार्थीगण की तलबी नहीं कवाई गई है।

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थन तलबी के अभाव में इसी

स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद

तरीख तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर तुल्य-न्यायालय

में सुनाया गया।

  
(अमिता बिशनोई)  
R.A.S.

**उपखण्ड अधिकारी**  
**घड़साना**